उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 11/2019/1555/36-03-2019-02(सा०)/2014

लखनऊ : दिनाँक : 15 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-26 सन् 1962) की धारा-3 की उपधारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे विनिर्दिष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 07-गंगोह (सहारनपुर), 37-रामपुर (रामपुर), 77-इगलास (अ०जा०) (अलीगढ़), 175-लखनऊ कैन्टोनमेन्ट (लखनऊ), 212-गोविन्दनगर (कानपुर नगर), 237-मानिकपुर (चित्रकूट), 248-प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), 269-जैदपुर (अ०जा०) (बाराबंकी), 280-जलालपुर (अम्बेडकरनगर), 282-बलहा (अ०जा०) (बहराइच) तथा 354-घोसी (मऊ) में समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ विधान सभा के उप चुनाव, 2019 के सम्बन्ध में मतदान दिनाँक 21.10.2019 (सोमवार) को किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा-8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन इस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नही है, तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 11 /2019/ 1555 (1) / 36-3-2019 तद्दिनांक

1. संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना की 150 प्रतियों श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियों श्रम आयुक्त, उ०प्र० जी०टी०रोड, कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त (द्वारा श्रम आयुक्त)।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी (द्वारा श्रम आयुक्त)।
4. श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
5. सम्बन्धित अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त (द्वारा श्रम आयुक्त)।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव निर्वाचन विभाग, उ०प्र० शासन।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/निदेशक, दूरदर्शन तथा निदेशक, आकाशवाणी को जनसाधारण की सूचना हेतु प्रसार-प्रसार के लिए।
9. गार्ड फाल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।